
सं. 10/2/2013- समन्वय Vol. III No. 10/2/2013-Coord. भारत सरकार

Government of India जल संसाधन मंत्रालय Ministry of Water Resources



नई दिल्ली, दिनांक: 16 में लाई New Delhi, Dated: 16.07: 2014

विषय : केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 - उन व्यक्तियों के मामले में जिन्हे संसोधन-पूर्व वेतनमानो में गतिरोध वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियां) प्रदान की गई थी नियम का प्रथम परन्तुक लागू किया जाना ।

Subject: Central Civil Services (Revised pay) Rules, 2008 - application of the first proviso to Rule 10 in case of those who had been granted stagnation increment (s) in the pre-revised pay scales.

निम्नलिखित कागजातों की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इसके साथ संलग्न किया जा रहा है :

A copy of following papers is enclosed herewith for information and guidance:

संख्या एवं तारीख

No. & date

सं0 एफ-10/2/2011- ई-III(क)

दिनॉक 4 जुलाई 2014

No. F-10/2/2011-E.III(A)

Dated 04th July, 2014

किससे प्राप्त हुई

From whom received

वित्त मत्रालय

व्यय विभाग

Ministry of Finance

Department of Expenditure

il. unwent to all

(संजीत कुमार भगत)

(Sanjeet Kumar Bhagat)

अन्भाग अधिकारी (समन्वय)

Section Officer (Coord.)

To

1. Heads of all organizations under the Ministry.

2. US(A)US(E-I)US(E-II)/US(E-III)/US(E-IV)/ US(PSU)/DC(BM)/US(GWE)
3. Guard file.

No.F-10/2/2011-E.III(A)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
E-III(A) Branch

.

North Block, New Delhi-110 011 Dated the 4th July, 2014.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:

Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 – application of the first proviso to Rule 10 in case of those who had been granted stagnation increment(s) in the pre-revised pay scales

The undersigned is directed to invite a reference to the first proviso to Rule 10 of the CCS (RP) Rules, 2008, which provides that in the case of persons who had been drawing at the maximum of the existing scale for more than a year as on the 1st day of January, 2006, the next increment in the revised pay structure shall be allowed on the 1st day of January, 2006.

- 2. Attention is also invited to the Clarification No.5 contained in this Ministry's OM No.1/1/2008-IC dated 29.1.2009, clarifying that in all cases where a Government Servant has been granted an increment (whether normal annual increment or stagnation increment) after January, 2005, no increment will be allowed on 1.1.2006 at the time of fixation of pay in the revised pay structure.
- 3. It has now been brought to the notice of this Ministry that the pay of those employees who had reached the maximum of their pre-revised pay scale and had also been granted stagnation increment(s) prior to 1.1.2006 in the applicable pre-revised pay scales, came to be fixed at a lower stage vis-à-vis the employees who had drawn pay at the maximum of the same pre-revised pay for a period of more than one year as on 1.1.2006 and had been allowed one increment in the revised pay scale as on 1.1.2006 as per the first proviso to Rule 10 of the CCS (Revised Pay) Rules, 2008.
- 4. The matter has been considered and the President is pleased to decide that, in partial modification of this Ministry's aforesaid OM No.1/1/2008-IC dated 29.1.2009, the increment on 1st January, 2006, as envisaged under the first proviso to Rule 10 of the CCS(RP) Rules, 2008, shall be allowed to those employees also who had reached the maximum



Contd....2/-

Mary

(2)- W

of the applicable pre-revised pay scale more than one year before 1.1.2006 and were in receipt of stagnation increment(s) in the applicable pre-revised pay scale as admissible in terms of the orders in vogue prior to 1.1.2006, provided their pay in the revised pay structure was fixed on 1.1.2006 with reference to the same pre-revised pay scale exactly as per the Fitment Table prescribed in this Ministry's OM No.1/1/2008-IC dated 30th August, 2008.

- 5. In so far as persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue after consultation with the Comptroller and Auditor General of India.
- 6. Hindi version of this Office Memorandum is attached.

(Amar Nath Singh) Deputy Secretary to the Government of India

To

- 1. All Ministries/Department of the Government of India (as per standard distribution list)
- 2. Office of the Comptroller & Auditor General of India
- 3. JCA, DoPT, North Block, New Delhi
- 4. NIC with the request that the same be posted on Ministry of Finance's website.

भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग ई-III(क) अनुभाग

> नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110011 दिनांक 4 जुलाई: 2014

कार्यालय जापन

विषयः केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 – उन व्यक्तियों के मामले में जिन्हें संशोधन-पूर्व वेतनमानों में गतिरोध वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियां) प्रदान की गई थीं नियम 10 का प्रथम परन्तुक लागू किया जाना।

अधोहस्ताक्षरी को केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 10 के प्रथम परन्तुक का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसमें प्रावधान है कि उन व्यक्तियों के मामले में, जो 1 जनवरी, 2006 को एक वर्ष से अधिक समय से विद्यमान वेतनमान का अधिकतम आहरित कर रहे थे, संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतनवृद्धि जनवरी, 2006 की पहली तारीख को दी जाएगी।

- 2. इस मंत्रालय के दिनांक 29.01.2009 के का. जा. सं. 1/1/2008-आईसी में उल्लिखित स्पष्टीकरण सं. 5 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सभी मामलों में जहां किसी सरकारी कर्मचारी को जनवरी, 2005 के बाद वेतनवृद्धि (चाहे सामान्य वार्षिक वेतनवृद्धि हो या गतिरोध वेतनवृद्धि) प्रदान की गई है, संशोधित वेतन संरचना में वेतन निर्धारित करते समय 01.01.2006 को कोई वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी।
- 3. अब इस मंत्रालय के ध्यान में यह लाया गया है कि उन कर्मचारियों का वेतन, जो अपने संशोधन-पूर्व वेतनमान के अधिकतम तक पहुंच चुके थे और जिन्हें लागू संशोधन-पूर्व वेतनमानों में 1.1.2006 से पहले गतिरोध वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियां) भी प्रदान की जा रही थीं, उन कर्मचारियों की तुलना में निम्नतर स्तर पर निर्धारित हुआ जो 01.01.2006 को एक वर्ष से अधिक समय के लिए उसी संशोधन-पूर्व वेतनमान के अधिकतम पर वेतन आहरित कर रहे थे और जिन्हें केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 10 के प्रथम परन्तु के अनुसार 01.01.2006 को संशोधित वेतनमान में एक वेतनवृद्धि दी गई थी।
- 4. इस मामले पर विचार किया गया है और राष्ट्रपित ने यह निर्णय लिया है कि इस मंत्रालय के दिनांक 29.01.2009 के उपर्युक्त का. जा. सं. 1/1/2008-आईसी में आंशिक संशोधन करते हुए, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 10 के प्रथम परन्तुक में यथा परिकल्पित, 1 जनवरी, 2006 को वेतनवृद्धि उन कर्मचारियों को भी दी जाएगी जो 01.01.2006 से पहले एक वर्ष से अधिक के लिए लागू संशोधन-पूर्व वेतनमान के अधिकतम तक पहुंच गए थे और जिन्होंने 01.01.2006 से पहले प्रचलित आदेशों के अनुसार, लागू संशोधन-पूर्व वेतनमान में यथा-अनुमेय गतिरोध वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियां) प्राप्त की थीं, बशर्त कि संशोधित वेतन संरचना में उनका



वेतन इस मंत्रालय के 30 अगस्त, 2008 के का. जा. सं. 1/1/2008-आईसी में निर्धारित फिटमेन्ट तालिका के अनुसार ही उसी संशोधन-पूर्व वेतनमान के संदर्भ में 01.01.2006 को निर्धारित किया गया था।

5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श के बाद जारी किए जाते हैं।

> अमरनाथ सिंह) उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

- 1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।
- 2. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय।
- 3. जेसीए, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
- एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि इसे वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया जाए।